तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 27/6/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उप जिला मजिस्ट्रेट [illegible] (टोंक)	
27/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज/प्रदर्श। लगा० 1। का अवलोकन किया गया। दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार [illegible] को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खाता सं. 18 नया/85 पुराना (9) में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सही हिस्से अनुसार दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] 27/6/25 उप जिला मजिस्ट्रेट [illegible] (टोंक)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुकदमा संख्या–189 / 2023

1. बाबूलाल उम्र 62 वर्ष
2. गिर्राज प्रसाद उम्र 55 वर्ष
3. हरदयाल उम्र 50 वर्ष
4. बन्नाराम उम्र 47 वर्ष

} पुत्रान श्रीनारायण

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सुधारनपाडा तह. बांदीकुई (दौसा)

–: वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र रामस्वरूप उम्र 46 वर्ष
2. गजानन्द पुत्र रामस्वरूप उम्र 48 वर्ष
3. मु. शान्ती पत्नी रामस्वरूप उम्र 72 वर्ष

जाति ब्राह्मण निवासी सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

4. आशा उम्र 50 वर्ष पत्नी रामस्वरूप पत्नी मोहनलाल उर्फ पप्पूलाल जाति ब्राह्मण निवासी अजान पोस्ट निहालपुरा तहसील बैजूपाडा

5. गणपत उम्र 72 वर्ष पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

6. मुरारी उम्र 63 वर्ष पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा हाल निवासी ग्रीनबूड प्रोपर्टी प्लाट नं. 15, डॉगी क्लीनिक सैक्टर 47 गुडगाव (हरियाणा) मो. नं. 9650876026

7. तुलसीराम उम्र 48 वर्ष
8. सन्तोष उम्र 35 वर्ष
9. रूपनारायण उम्र 32 वर्ष

} पुत्रान रामकिशोर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी सुधारनपाडा

10. मु. कमला उम्र 70 वर्ष पत्नी रामकिशोर

11. लक्ष्मी देवी उम्र 75 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी हरिप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी गुढाआशिकपुरा तहसील बसवा जिला दौसा।

12. ललता उम्र 70 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी सेडूराम जाति ब्राह्मण निवासी मिश्र मोहल्ला बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

13. गुलाब उम्र 60 वर्ष पुत्री मूलचन्द पत्नी रामोतार जाति ब्राह्मण निवासी चांदूसा हिंगवा तहसील दौसा जिला दौसा

14. जगदीश उम्र 62 वर्ष पुत्र देवीसहाय जाति ब्राह्मण निवासी डगडगा, हाल निवासी सरस्वती शिक्षा निकेतन के पीछे वार्ड नं. 39, झील, जागीर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

२५६-

Scanned with OKEN Scanner

15. विशम्भर उम्र 55 वर्ष पुत्र देवीसहाय जाति ब्राह्मण निवासी डगडगा, हाल निवासी वेदान्ता हॉस्पीटल के सामने हाउसिंग बोर्ड, शिव मंदिर के पीछे, सेक्टर नं. 39 झाडसा गुडगाँव हरियाणा मो. नं. 9268979008

16. लहरी उम्र 49 वर्ष पुत्र देवीसहाय जाति ब्राह्मण निवासी डगडगा हाल निवासी आदर्श कॉलोनी सामुदायिक भवन, शिव मंदिर बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा मो. नं. 9772427612

17. दिनेश उम्र 45 वर्ष
18. बाबूलाल उम्र 40 वर्ष } पुत्रान देवीसहाय
19. तेजप्रकाश उम्र 35 वर्ष

जाति ब्राह्मण नि. डगडगा तहसील रैणी जिला अलवर

20. मगनी उम्र 45 वर्ष पुत्री देवीसहाय पत्नी सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी सालोली तहसील रैणी जिला अलवर

21. शान्ति उम्र 47 वर्ष पुत्री देवीसहाय पत्नी महेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी सालोली तहसील रैणी जिला अलवर

22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिवाई जरिये प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।

23. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा बांदीकुई जरिये व्यवस्थापक आई. सी.आई.सी.आई. बैंक लि. शाखा बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

—: प्रतिवादीगण

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक –27.06.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा वादीगण द्वारा जरिये वकील श्री अमरसिंह गुर्जर ने दिनांक 30.11.2023 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 185 पुराना 191 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 236 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि के साबिक नम्बर 131 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा रहे है। उक्त भूमि को उसके तथाकथित खातेदार मोहनसिंह पुत्र सम्पतसिंह से वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज रामपाल, मूल्या, श्रीनारायण, गंगाधर पुत्रान धन्ना, रामकिशोर पुत्र प्रभु ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि को क्रय कर दिनाक 11.07.1963 को उपपंजीयन कार्यालय बसवा में पुस्तक सं. 1 के भाग सं. 7 में कम सं. 107 पृष्ठ सं. 141 से 142 पर विक्रय पत्र पंजीकृत करा कर काबिज रहे है। जिसमें रामपाल, मूल्या, श्रीनारायण, गंगाधर पुत्रान धन्ना

Scanned with OKEN Scanner

प्रत्येक का 1/5–1/5 बराबर हिस्सा रहा है तथा उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है।

रामपाल, मूल्या, श्रीनारायण, गंगाधर व रामकिशोर की मृत्यु हो चुकी है। जिनका पूर्वज धन्नालाल है। धन्नालाल का सिजरा निम्न प्रकार है।

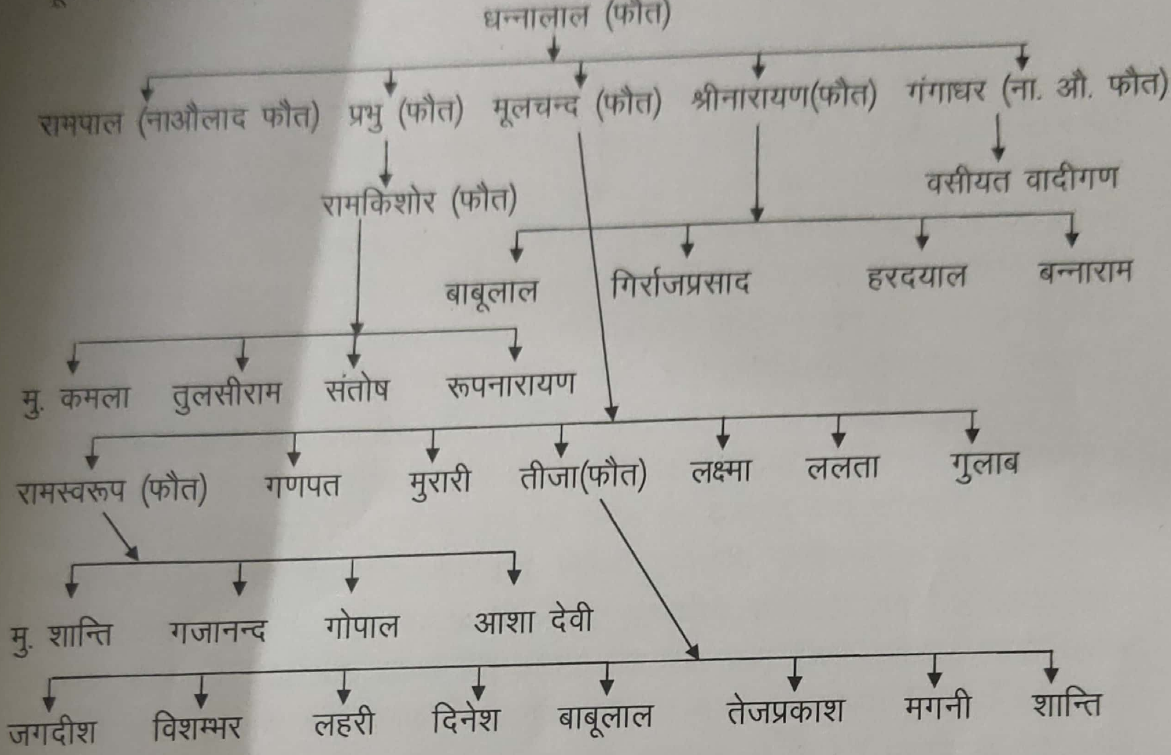

गंगाधर पुत्र धन्नालाल द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा जो वाद पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि है जिसमें गंगाधर का हिस्सा 1/5 है उसकी वादीगण के हक में दिनांक 17.09. 2009 को उपपंजीयक कार्यालय बसवा में वसीयत पंजीकृत करा दी, जिसका नामान्तकरण वादीगण के हक में तहरीर कर दिया एवं वादीगण के पिता श्रीनारायण का भूमि मुतदाविया में हिस्सा 1/5 का था तथा श्रीनारायण की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण सं. 91 वादीगण के हक में खोल दिया। इस प्रकार गंगाधर व श्रीनारायण की मृत्यु के बाद वादीगण वादग्रस्त भूमि में सम्मिलित 2/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादी का हिस्सा 1/10–1/10 बनता है।

राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 185 पुराना 191 के आराजीं खसरा नं. 235 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 236 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर में जो वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का गलत हिस्सा 1/16–1/16 दर्शित कर रखा है उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण का सही हिस्सा 1/10–1/10 किया जावे तथा उसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 07 लगायत 10 का अपने पिता/पति रामकिशोर के हिस्सा 1/5 में से प्रत्येक का हिस्सा

1/20–1/20 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/16–1/16 दर्शित कर दिया है उसे दुरूस्त कर सही हिस्सा 1/20–1/20 किया जावे व इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के पिता/पति रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/35 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/28 दर्शित कर दिया उसे दुरूस्त कर सही हिस्सा 1/35 दर्शित किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 05, 06 व 11 लगायत 13 प्रत्येक का हिस्सा 1/35–1/35 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/28–1/28 दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त कर 1/35–1/35 दर्शित किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 14 लगायत 21 प्रत्येक का हिस्सा 1/280–1/280 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/224–1/224 दर्ज कर दिया उसे दुरूस्तकर सही हिस्सा 1/280–1/280 दर्शित किया जावे एवं रामस्वरूप पुत्र रामपाल का हिस्सा 1/5 के स्थान पर गलत 1/4 हिस्सा दर्शित कर दिया जिसे दुरूस्त कर 1/5 हिस्सा दर्शित किया जावे। इस प्रकार जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से हिस्सा गलत दर्शित कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादीगण को उसके वास्तविक रकबा 2/5 हिस्सा अनुसार प्रत्येक वादीगण को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज किया जाना आवश्यक हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस करवाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 10 एवं 12 लगा0 24 बावजूद जर्ये रजिस्ट्री ए.डी. नोटिस तामील उपस्थित नही, ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उपस्थित आया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 10 एवं 12 लगा0 24 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 11 का नाम हजफ हेतु प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 का नाम हजफ किया गया। प्रकरण वास्ते साक्ष्यवादी नियत किया गया। वकील वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी शपथ पत्र बन्नाराम व गिर्राज प्रसाद के पेश किये गये। साक्ष्य शपथ पत्र पेश करने वाले वादी वकील से प्रदर्श दस्तावेजात डलवाये गये। वकील वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्यवादी शपथ पत्र पेश करने से इन्कार किया। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। इसलिए जिरह नही हो सकी। वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया। वादी वकील द्वारा बहस के दौरान वाद पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है की राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 185 पुराना 191 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 236 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर में जो वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण का गलत हिस्सा 1/16–1/16 दर्शित कर रखा है उसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण का सही हिस्सा 1/10–1/10 किया जावे तथा उसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 07 लगायत 10 का अपने पिता/पति रामकिशोर के हिस्सा 1/5 में से प्रत्येक का हिस्सा 1/20–1/20 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/16–1/16 दर्शित कर दिया है उसे दुरुस्त कर सही हिस्सा 1/20–1/20 किया जावे व इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के पिता/पति रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द का हिस्सा 1/35 के स्थान पर गलत

४५६–

हिस्सा 1/28 दर्शित कर दिया उसे दुरूस्त कर सही हिस्सा 1/35 दर्शित किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 05, 06 व 11 लगायत 13 प्रत्येक का हिस्सा 1/35–1/35 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/28–1/28 दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त कर 1/35–1/35 दर्शित किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 14 लगायत 21 प्रत्येक का हिस्सा 1/280–1/280 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/224–1/224 दर्ज कर दिया उसे दुरूस्तकर सही हिस्सा 1/280–1/280 दर्शित किया जावे एवं रामस्वरूप पुत्र रामपाल का हिस्सा 1/5 के स्थान पर गलत 1/4 हिस्सा दर्शित कर दिया जिसे दुरूस्त कर 1/5 हिस्सा दर्शित किया जावे। इस प्रकार जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से हिस्सा गलत दर्शित कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादीगण को उसके वास्तविक रकबा 2/5 हिस्सा अनुसार प्रत्येक वादीगण को 1/10–1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज निवेदन किया है।

बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद की ताईद में प्रदर्श–1 जमाबन्दी खाता संख्या 185, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2029 ग्राम सुधारनपाडा, प्रदश–3 नामान्तकरण, प्रदर्श–4 विक्रय पत्र दिनांक 02.07.1963, प्रदर्श–5 भू–प्रबंधक खतौनी संवत् 2052–71, प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052 से 2071, प्रदर्श–7 जमाबंदी खाता संख्या 141, प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत 2059–62, प्रदर्श–9 जमाबंदी संवत 2063–66, प्रदर्श–10 जमाबंदी संवत 2067–70, प्रदर्श–11 हकत्याग दिनांक 08.09.2022 पेश किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किया गया। मूल रूप से वादीगण वादग्रस्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से हिस्सा गलत दर्शित कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाकर वादीगण को उसके वास्तविक हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते है। पत्रावली में अंकित सिजरा एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 लगा0 11 का अवलोकन करने पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्सो की स्वयं जॉच कर वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम सुधारनपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि काश्त खाता सं. नया 185 पुराना 191 के आराजी खसरा नं. 235 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 236 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नं. 237 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर में वादीगण का गलत हिस्सा 1/16–1/16 को दुरूस्त किया जाकर वादीगण का सही हिस्सा 1/10–1/10 किया जावे तथा उसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 07 लगायत 10 का अपने पिता/पति रामकिशोर के हिस्सा 1/5 में से प्रत्येक का गलत हिस्सा 1/16–1/16 को दुरूस्त कर सही हिस्सा 1/20–1/20 किया जावे व इसी प्रकार प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के पिता/पति रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द का गलत हिस्सा 1/28 को दुरूस्त कर सही हिस्सा 1/35 किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 05, 06 व 11 लगायत 13 प्रत्येक का गलत हिस्सा 1/28–1/28 को दुरूस्त कर 1/35–1/35 किया जावे एवं प्रतिवादीगण सं. 14 लगायत 21 प्रत्येक का गलत हिस्सा 1/224–1/224 को दुरूस्त कर सही हिस्सा 1/280–1/280 किया जावे एवं

Scanned with OKEN Scanner

रामस्वरूप पुत्र रामपाल का गलत हिस्सा 1/4 को दुरूस्त कर हिस्सा 1/5 किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। **रामपाल पुत्र धन्ना जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्सा बनता है रामपाल पुत्र धन्ना नाऔलाद फौत हो गया जिसका विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के पिता/पति रामस्वरूप पुत्र रामपाल के नाम इन्द्राज हो गया। जिसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रामपाल पुत्र धन्ना की भूमि का रामस्वरूप के नाम जरिये गोदानामा नामान्तकरण को निरस्त करवाने बाबत वाद लम्बित है। रामपाल पुत्र धन्ना का हिस्सा 1/5 की भूमि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के वाद में निर्णय में तय होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के वाद के निर्णय तक रामपाल पुत्र धन्ना का हिस्सा 1/5 की भूमि को यथावत रखी जावें।** पर्चा डिक्री एवं तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई